न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—70/17 (2017/00196) वाद पत्र

उनवान

1—शंकरलाल पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—काना पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—ज्वारमल पिता अमरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मांगीलाल पिता अमरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—उदी पुत्री अमरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—लैण्ड होलडर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — वादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—01.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक खाता संख्या 9 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 127 रकबा 3 बिस्वा केस्म गै.मु.आचा राजस्व रेकार्ड में तत्कालीन खातेदारान के साथ अमरा, चम्पा पिता नानजी के नाम दर्ज रेकार्ड था जिसमें अमरा,चम्पा पिता नानजी का 1/12 हिस्सा था प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 की वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित आराजी चाह संख्या 127 में दर्ज अमरा,चम्पा पिता नानजी का सम्पूर्ण 1/12 हिस्सा व उनकी कृषि भूमियों को वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिनांक 07.03.1978 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तब से ही वादीगण अपने 1/12 हिस्से का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमियां व चाह क्रय करने के बाद वादीगण के नाम नामान्तरण संख्या 286 दिनांक 05.09.1978 को दर्ज किया गया जिसमें कृषि भूमियो का नामान्तरण वादीगण के नाम दर्ज कर दिया परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने चाह संख्या 127 में 1/12 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज नही किया जिससे उक्त चाह में अमरा,चम्पा का नाम चला रहा है। तहसील रायपुर में नवीन भू प्रबन्ध होने से साबिक आराजी संख्या 127 के नवीन नम्बर 216 रकबा 0.03 है. कायम किए गए प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान जमाबन्दी की नकल साथ पेश की है। चम्पा लाऔलाद फोथ हो गया तथा अमरा की भी मृत्यु हो गई अमरा के प्रतिवादी संख्या 1 के 3 वारीस है तथा दिनांक 01.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण से मिले और कहा कि वादग्रस्त चाह हमारे नाम पर है तुम्हे उपयोग उपभोग नही करने देंगे। जिससे वादीगण [illegible] प्राप्त की और पता चला की वादग्रस्त आराजी विक्रेता के नाम दर्ज है। वाद[illegible] च[illegible] संख्या 216 के 1/12 हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर [illegible] के नाम [illegible] करने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि [illegible] वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री [illegible]दर फरमाई जावे कि [illegible] चारोट में स्थित चाह संख्या 216 रकबा 0.03 है0 में प्रतिवादीगण के 1/12 हिस्से मे से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:43 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त चाह संख्या 216 रकबा 0.03 है0 में 1 / 12 हिस्से में प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादीगण को उनके 1 / 12 हिस्से का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें यदि दौराने प्रतिवादीगण वादीगण के 1 / 12 हिस्से को किसी अन्य को रहन, बय बक्षीस कर देवे तो आदेशात्मक आज्ञा के पुनः वादीगण के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को कराया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 10.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी गण वाबजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 23.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 फॉरमल पक्षकार होने से कोई कार्यवाही नही चाही गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादीगण द्वारा दिनांक 07.03.1978 के रजिस्टर्ड दस्तावेज से अन्य कृषि भूमि के साथ उक्त वादग्रस्त चाह की भूमि भी क्रय की गई थी जिसका अकंन पत्रावली में उपलब्ध पंजीयन दस्तावेज दिनांक 07.03.1978 से प्रमाणित होता है। नामान्तरण संख्या 286 दिनांक 05.09.1978 दायर करते समय पटवारी हल्का के द्वारा मात्र कृषि आरायिजात का ही जो संयुक्त खाता था उसका ही नामान्तकरण कर त्रुटिवश आराजी चाह का नामान्तकरण में विक्रेता के बजाय क्रेता के नाम दर्ज करने का अंकन नही हुआ जिससे आदिनांक तक भूमि क्रेता के नाम दर्ज नही हुई परन्तु पंजीयन दस्तावेज के आधार पर वादीगण द्वारा उक्त आराजी चाह में हिस्सा क्रय किया गया है साथ ही वादीगण द्वारा साबिक जमाबन्दी की नकल, मिलान क्षैत्रफल, नामान्तरण संख्या 286 की प्रति, पूरानी जमाबन्दी, विक्रयपत्र की नकल प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर स्पष्ठ प्रमाणित है कि कृषि भूमि के साथ आराजी चाह में भी विक्रेता द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किया है। वादीगण अपना वाद साबित कराने में सफल रहे है जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम चारोट में स्थित आराजी चाह संख्या 216 रकबा 0.03 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के 1 / 12 हिस्सा सम्पूर्ण ज्वारमल, मांगीलाल पिता अमरा, उदी पुत्री अमरा के बजाय शंकरलाल, काना पिता रामलाल ब्राहम्ण वादीगण को खातेदार करार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:43 IST
Reason: SelfAttested

1.7.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–70/17 (2017/00196) वाद पत्र

उनवान

1–शंकरलाल पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–काना पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–ज्वारमल पिता अमरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मांगीलाल पिता अमरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–उदी पुत्री अमरा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–लैण्ड होलडर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम चारोट में स्थित आराजी चाह संख्या 216 रकबा 0.03 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के 1/12 हिस्सा सम्पूर्ण ज्वारमल, मांगीलाल पिता अमरा, उदी पुत्री अमरा के बजाय शंकरलाल, काना पिता रामलाल ब्राहम्ण वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 01.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

1.7.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:43 IST
Reason: SelfAttested